पत्रांक :- 5/ब.3-46/2005......2380......./

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची- 834002

संकल्प

विषय :- राज्य मे अवस्थित सम्बद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) स्तर एवं शास्त्री स्तर (स्नातक) के संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पंचम, छठा एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में।

झारखण्ड राज्य में तीन सम्बद्धता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय हैं। इनमें से संस्कृत हिन्दी विद्यापीठ, झारखण्ड धाम, गिरिडीह शास्त्री स्तर (स्नातक स्तर) का संस्कृत महाविद्यालय है, जबकि वैद्यनाथ कमल कुमारी संस्कृत महाविद्यालय, देवघर तथा उपशास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, डाल्टेनगंज उपशास्त्री (इन्टर) स्तर के महाविद्यालय हैं, जिसमें शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल 37 वित्त सहित पद स्वीकृत हैं।

2. पूर्ववर्ती बिहार राज्य में संस्कृत महाविद्यालयों का नियंत्रण कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के अन्तर्गत थे। मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–252 दिनांक–27.08.2001 द्वारा राज्य गठन के उपरांत अविभाजित बिहार राज्य में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा से सम्बद्ध सभी संस्कृत महाविद्यालयों का संबंधन एवं सभी कार्य सम्पादित करने की शक्तियाँ विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को सौंपी गई है।

3. राज्य के शास्त्री (स्नातक) स्तरीय सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की भांति पंचम एवं छठा पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति की मांग लंबे समय से की जा रही है। उपशास्त्री (इन्टर) स्तर के सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों यथा संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय मेदिनीनगर, पलामू एवं वैद्यनाथ कमल कुमारी संस्कृत महाविद्यालय, देवघर के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा इंटर स्तरीय महाविद्यालयों को स्वीकृत वेतनमान के आधार पर पंचम पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक–01.01.96 से वेतन निर्धारण का अनुमोदन क्रमशः निदेशालीय पत्रांक–520 दिनांक–14.05.2011 एवं पत्रांक–176 दिनांक–19.02.2009 द्वारा किया गया है।

4. सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के मांग पर विचारार्थ प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा बिहार राज्य में अवस्थित संस्कृत महाविद्यालयों एवं उपशास्त्री महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के समान झारखण्ड राज्य में अवस्थित सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों एवं उपशास्त्री महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतनमान की स्वीकृति प्रदान करने का परामर्श दिया गया है।

5. बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या–1263 दिनांक–05.08.2016 द्वारा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के नियंत्रणाधीन उपशास्त्री स्तरीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक–01.01.2006 के प्रभाव से षष्टम तथा बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 1501 दिनांक-15-06-2022 के द्वारा दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या–15/पी०-6-03/2011-1704 दिनांक–20.09.2017 के द्वारा उपशास्त्री स्तरीय महाविद्यालयों में विधिवत् रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त प्रधानाचार्यो को दिनांक–01.01.2006 के प्रभाव से छठा वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रतिस्थानी वेतनमान PB-3 (15600-39100) एवं ग्रेड पे० रू० 6000/- में स्वीकृत किया गया है। वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप आर्थिक लाभ दिनांक–01.04.2007 से देय है।

7. बिहार सरकार, उच्च शिक्षा विभाग के पत्रांक 1300 दिनांक–10.07.2001 के द्वारा सम्बद्ध शास्त्री स्तर के महाविद्यालयों के शिक्षकों को तथा बिहार सरकार, उच्च शिक्षा विभाग के पत्रांक–1972 दिनांक–12.10.2004 के द्वारा शिक्षकेत्तर कर्मियों को 01.01.96 से पंचम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

8. पूर्ववर्ती बिहार राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालय एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण दिनांक–01.01.2006 के प्रभाव से विभागीय संकल्प संख्या–2374

दिनांक–29.07.2010 एवं संकल्प संख्या–2693 दिनांक–27.08.2010 द्वारा किया गया है, का लाभ कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के शास्त्री स्तरीय महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को देय है।

9. बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 591 दिनांक-06.03.2019 के द्वारा राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालय एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है, का लाभ कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के शास्त्री स्तरीय महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को देय है।

10. राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ विभागीय संकल्प संख्या 319 दिनांक 07.02.2019 के द्वारा तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ विभागीय संकल्प संख्या–2048 दिनांक–09.12.2022 के द्वारा प्रदान किया गया है।

11. उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–1300 दिनांक–10.07.2001, संकल्प संख्या–1972 दिनांक–12.10.2004, संकल्प संख्या–2374 दिनांक–29.07.2010 एवं संकल्प संख्या–2693 दिनांक–27.08.2010 तथा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–1704 दिनांक–20.09.2017 एवं संकल्प संख्या–1263 दिनांक–05.08.2016, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 591 दिनांक-06-03-2019 एवं बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या–1501 दिनांक–15.06.2022 तथा विभागीय संकल्प संख्या 319 दिनांक 07.02.2019 एवं विभागीय संकल्प संख्या 2048 दिनांक 09.12.2022 के आलोक में वेतन पुनरीक्षण के लाभ हेतु दावा करने वाले शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को विधिवत रूप से नियमित पदों पर नियुक्ति, वेतन पुनरीक्षण हेतु उल्लेखित बंधेजों का अनुपालन किये जाने तथा अन्य अभिलेखों के जांचोपरांत वेतन पुनरीक्षण का लाभ देय होगा।

12. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में शास्त्री (स्नातक) स्तर के सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को कंडिका–12(A) के आधार पर पंचम पुनरीक्षित वेतनमान, छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान एवं उपशास्त्री (इन्टर) स्तर के सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को कंडिका–12(B) के आधार पर छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान संकल्प निर्गत होने की तिथि से निम्न विवरणी के अनुसार स्वीकृत किया जाता है:-

A. शास्त्री (स्नातक) स्तर सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय

क्र० सं०	पदनाम	01.01.1996 से प्रस्तावित पंचम पुनरीक्षित वेतनमान	01.01.2006 से प्रस्तावित छठा पुनरीक्षित वेतनमान	01.01.2016 से प्रस्तावित सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान
1.	प्रधानाचार्य	12000-420-18300	37400-67000 AGP-10000	Academic Level 14 (Entry pay 1,44,200/-)
2.	व्याख्याता/ सहायक प्राध्यापक	8000-275-13500	15600-39100 AGP-6000	Academic Level 10 (Entry pay 57,700/-)
3.	लिपिक	4000-100-6000	**Pay Band** 5200-20200 GP-2400	**Pay Band** 5200-20200 Level-4/1
4.	टंकक	4000-100-6000	**Pay Band** 5200-20200 GP-1900	**Pay Band** 5200-20200 Level-2/1
5.	रात्रि प्रहरी/ आदेशपाल	2550-55-2660-60-3200	**Pay Band** 4440-7440 GP-1300 **नोट:** वित्त विभाग के संकल्प सं० 660/वि० दिनांक 28.02.2009 के Schedule-I (Section-I) को अपनाते हुए विभागीय संकल्प सं० 357 दिनांक 13.03.2013 में Schedule-I के रूप में विभागीय संकल्प सं० 729 दिनांक 22.03.2023 के द्वारा समावेशित किया गया है।	**Pay Band** 5200-20200 Level-1/1

B. उपशास्त्री (इन्टर) स्तर सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय

क्र० सं०	पदनाम	01.01.2006 से प्रस्तावित छठा पुनरीक्षित वेतनमान	01.01.2016 से प्रस्तावित सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान
1.	प्रधानाचार्य	15600-39100 AGP-6000	Academic Level 10 (Entry pay 57,700/-)
2.	आचार्य/एम०ए०	**Pay Band** 9300-34800 GP-4200	**Pay Band** 9300-34800 Level 6/1
3.	आचार्य (स्नातक)	**Pay Band** 9300-34800 GP-4200	**Pay Band** 9300-34800 Level 6/1
4.	तृतीय वर्गीय कर्मी	**Pay Band** 5200-20200 GP-2400	**Pay Band** 5200-20200 Level-4/1
5.	चतुर्थ वर्गीय कर्मी	**Pay Band** 4440-7440 GP-1300 **नोट:** वित्त विभाग के संकल्प सं० 660/वि० दिनांक 28.02.2009 के Schedule-I (Section-I) को अपनाते हुए विभागीय संकल्प सं० 357 दिनांक 13.03.2013 में Schedule-I के रूप में विभागीय संकल्प सं० 729 दिनांक 22.03.2023 के द्वारा समावेशित किया गया है।	**Pay Band** 5200-20200 Level-1/1

नोटः– शास्त्री (स्नातक) स्तर सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय तथा उपशास्त्री (इंटर) स्तर सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय अन्तर्गत भविष्य में नई नियुक्ति (यदि की जायेगी) लिपिक/टंकक के पद पर नहीं की जायेगी अपितु, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान PBI-GP-1900 में की जायेगी।

13. प्रस्ताव पर दिनांक-08.12.2025 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-20 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

26.12.25

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–5/ब॰3–46/2005 2380 /राँची, दिनांक 29/12/2025

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस), झारखण्ड, डोरण्डा, राँची/ई–गजट, नोडल पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26.12.25

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/ब॰3–46/2005 2380 राँची, दिनांक– 29/12/2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.12.25

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–5/ब॰3–46/2005 2380 /राँची, दिनांक 29/12/2025

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, विधि विभाग/सचिव, वित्त विभाग/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू/बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद/डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची/झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची/जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।